अति आवश्यक
फैक्स/ईमेल द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकःएफ 2 (8) 09/विधि/प्रमुवस/ 9250-9370 दिनांकः 12.11.14

निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक,
राजस्थान।

विषयः—न्याय विभाग की वैबसाइट ''लाइट्स'' पर न्यायिक प्रकरणों का अपडेशन/वैलीडेशन कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्याय विभाग की वैबसाईट '' लाईट्स'' पर विभागीय न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अपडेशन/वैलीडेशन नियमित रूप से कर इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। प्रायः यह देखने में आया है कि वनमण्डल स्तर पर इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तथा कार्य प्रगति काफी धीमी है। न्याय विभाग द्वारा आयोजित समीक्षात्मक बैठकों में भी धीमी प्रगति पर असन्तोष जाहिर करते हुए त्वरित रूप से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। न्याय विभाग द्वारा आयोजित गत बैठक में भी ''लाईट्स'' संबंधी कार्य को अद्यतन कर इस आशय का प्रमाण–पत्र आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को विभाग में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति तथा अवमानना प्रकरणों की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाना है। अतः आपके कार्यालय से संबंधित निम्नांकित सूचनायें **आवश्यक रूप से 3 दिवस में फैक्स/ईमेल द्वारा भिजवावें** ताकि राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके :–

1 न्याय विभाग की वैबसाईट''लाईट्स'' पर दिनांक 10.11.2014 तक विचाराधीन समस्त न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अपडेशन/वैलीडेशन कर इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवावें।

2 आपके तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत किये गए प्रकरणों का ''लाईट्स'' में इन्द्राज कर जवाब प्रस्तुत करने से शेष रहे प्रकरणों की स्थिति

3 अवमानना प्रकरणों के संबंध में नवीनतम स्थिति

उक्त प्रमाण पत्र व स्थिति 3 दिवस में प्राप्त नहीं होने पर यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिशः होगी।

भवदीय,

(ए.एस. बरार)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि,
राजस्थान, जयपुर।